

रेल दावा अधिकरण, प्रधान पीठ,
13/15, माल रोड,
दिल्ली-110054

सं. रे.दा.अधि./राजभाषा/तिमाही बैठक/2012

दिनांक 09.01.2020

विषय:-हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिंदी में कार्य करना।

.....

राजभाषा नियमों के अंतर्गत रेल दावा अधिकरण, प्रधान पीठ कार्यालय 'क' क्षेत्र में आता है। रेल दावा अधिकरण, प्रधान पीठ कार्यालय राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 (4) के अंतर्गत अधिसूचित है और नियम 8 (4) के अंतर्गत रेल दावा अधिकरण, प्रधान पीठ, कार्यालय में हिंदी में कार्य करने के लिए विषय भी विनिर्दिष्ट किए गए हैं (प्रतिलिपि संलग्न)। रेल दावा अधिकरण, प्रधान पीठ कार्यालय में कार्यरत अधिकांश अधिकारी/कर्मचारी हिंदी में प्रवीण हैं। कार्यालय के रिकार्ड के अनुसार आप हिंदी में प्रवीण हैं, अतः आप विनिर्दिष्ट विषयों में हिंदी का प्रयोग करें।

संलग्न-यथोक्त

श्री/श्रीमती _____

प्रवीणता प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी

सुमेट्रोट्रा

(आशिमा मेहरोत्रा)

रजिस्ट्रार

श्री को पोपत्रित किया
गया एवं व्याप्तगत रूप से
दस्तावेज लिए गए।

शुक्ति
11/1/20